

महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रीति रात्रे

स्वतंत्र शोधकर्ता, समाजशास्त्र विभाग, गजरा, बांकीमोंगरा, कोरबा, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र "महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध" विषय पर केंद्रित है, जिसमें वर्तमान समय में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया संचार का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। सोशल मीडिया के उपयोग में वृद्धि के साथ ही इसके दुरुपयोग भी होने लगे हैं जिसके कारण महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अपराध देखे जा सकते हैं। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, प्रभाव, रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निर्मित नियमों एवं कानूनों की प्रभावशीलता एवं उपयोगिता का मूल्यांकन करना है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान कानून व्यवस्था में इन अपराधों को रोकने तथा अपराधियों को दंडित करने के लिए कानूनों में सुधार व उन्हें कठोर रूप से लागू करना चाहिए। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि क्या महिलाओं में बढ़ रहे अपराधों को रोकने हेतु कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है? जिससे की महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जा सके, ताकि बढ़ते अपराधों को नियंत्रित किया जा सके और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मूल शब्द: साइबर अपराध, सुरक्षा, उत्पीड़न, कानूनी प्रावधान, अधिकार, जागरूकता आदि

इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने महिलाओं के लिए संचार एवं अभिव्यक्ति के अवसरों को व्यापक बनाया है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रचार-प्रसार के कारण इनके दुरुपयोग भी होने लगे हैं, जिससे की महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों में भी निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध में महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा तथा निजता के समक्ष अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। साइबर उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, मॉर्फिंग, फर्जी प्रोफाइल, पहचान की चोरी, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग, साइबर पोर्नोग्राफी तथा ऑनलाइन मानहानि जैसे विभिन्न साइबर अपराधों के माध्यम से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है।

साइबर अपराधों द्वारा महिलाओं की निजी जानकारी, फोटो एवं वीडियो का अनधिकृत उपयोग तथा प्रसार कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, गरिमा तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया जाता है। निजी वीडियो के प्रसार तथा फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से उत्पीड़न की घटनाएँ महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध को जन्म देती हैं। अतः महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते साइबर अपराधों की प्रकृति एवं प्रभावों का अध्ययन आवश्यक है, ताकि उनकी सुरक्षा तथा निजता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकें, जिससे की महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाया जा सके तथा जागरूक किया जा सके।

साइबर अपराध

साइबर क्राइम एक आपराधिक गतिविधि है, जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क एवं इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। कुछ व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं की चोरी, हैकिंग तथा अन्य अवैध कार्य कर उनका गलत उपयोग करते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली ऐसी धोखाधड़ीपूर्ण एवं अवैध गतिविधियों को ही साइबर क्राइम कहा जाता है।

महिलाओं के साइबर अपराध

महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध इंटरनेट, मोबाइल तथा सोशल मीडिया के गलत उपयोग से होने वाले वे अपराध हैं जिनमें विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। वर्तमान समय में साइबर अपराधों का सबसे अधिक शिकार

महिलाएँ हो रही हैं। साइबर जगत तथा उससे जुड़े अपराध देश की सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। विशेषरूप से महिलाएँ इन अपराधों की शिकार बन रही हैं।

महिलाओं के प्रमुख साइबर अपराध

- **साइबर स्पाइंग:** इसमें महिलाओं की निजी गतिविधियों की गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग कर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
- **ट्रोलिंग:** इंटरनेट पर अपमानजनक टिप्पणियाँ करना, गाली-गलौज या धमकियों के माध्यम से महिलाओं को परेशान करना ट्रोलिंग कहलाता है।
- **साइबर-स्टॉकिंग:** वर्तमान संदर्भ में साइबर-स्टॉकिंग से आशय किसी व्यक्ति द्वारा पीड़ित का लगातार पीछा करने, उसे परेशान करने अथवा धमकाने से है। साइबर-स्टॉकिंग मुख्यतः टेक्स्ट संदेशों, ई-मेल, सोशल मीडिया पोस्ट तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा की जाती है। यह व्यवहार प्रायः लगातार, जानबूझकर तथा सुनियोजित तरीके से किया जाता है।
- **ई-मेल के माध्यम से उत्पीड़न:** ई-मेल के माध्यम से किया जाने वाला उत्पीड़न कोई नई घटना नहीं है। इसकी प्रकृति पत्रों के माध्यम से किए जाने वाले उत्पीड़न के समान होती है। ई-मेल के माध्यम से उत्पीड़न में ब्लैकमेल करना, धमकी देना, डराना-धमकाना तथा धोखाधड़ी करना शामिल हो सकता है।
- **साइबर-बुलिंग:** साइबर-बुलिंग का अर्थ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने से है। इसमें धमकीपूर्ण अथवा डराने-धमकाने वाले संदेश भेजकर किसी व्यक्ति को परेशान करना शामिल है।

- **साइबर-पोर्नोग्राफी:** साइबर-पोर्नोग्राफी से आशय अश्लील सामग्री का ऑनलाइन उत्पादन, वितरण तथा संचार करने से है। पूर्व में इसे आईपीसी की धारा 292 के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता था।

महिलाओं के साइबर अपराध रोकथाम हेतु सरकारी प्रयास

- **साइबर सेल की स्थापना:** साइबर अपराधों की शिकायतों की जाँच और उनके निवारण के लिए साइबर सेल एवं विशेष साइबर अपराध इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।
- **महिला हेल्पलाइन 1090:** महिलाओं को सुरक्षित एवं गोपनीय तरीके से शिकायत दर्ज कराने के लिए 1090 जैसी हेल्पलाइन सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- **कानूनी सहायता:** साइबर उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, फर्जी प्रोफाइल, अश्लील सामग्री के प्रसार आदि मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था की गई है।
- **साइबर सुरक्षा जागरूकता:** सरकार द्वारा महिलाओं और आम नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी प्रोफाइल, पहचान की चोरी तथा अन्य साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूक किया जाता है।
- **त्वरित कार्रवाई:** प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित एजेंसियों द्वारा अपराधियों की पहचान तथा आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास किया जाता है।
- **गोपनीयता और सुरक्षा:** पीड़ित महिलाओं की व्यक्तिगत जानकारी एवं शिकायतों की गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

महिलाओं के साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधान

- **धारा 66C पहचान की चोरी:** किसी अन्य व्यक्ति के पासवर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर या अन्य विशिष्ट पहचान का धोखाधड़ी से उपयोग करना दंडनीय है।
- **धारा 66D ऑनलाइन धोखाधड़ी:** कंप्यूटर या संचार उपकरण का उपयोग करके किसी व्यक्ति का रूप धारण कर धोखाधड़ी करना अपराध है। इसमें 3 वर्ष तक की सजा और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है।
- **धारा 66E निजता का उल्लंघन:** किसी व्यक्ति की निजी तस्वीर को उसकी अनुमति के बिना लेना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना दंडनीय है। इसमें 3 वर्ष तक की सजा या 2 लाख तक जुर्माना हो सकता है।
- **धारा 67 अश्लील सामग्री:** इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना दंडनीय अपराध है। पहली बार दोषसिद्धि पर 3 वर्ष तक की सजा तथा 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है।
- **धारा 354C IPC वॉययरिज्म:** महिला की निजी गतिविधि की तस्वीर या वीडियो उसकी अनुमति के बिना लेना या प्रसारित करना अपराध है।
- **धारा 509 IPC महिला की गरिमा का अपमान:** किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, संकेत या किसी अन्य माध्यम का प्रयोग करना दंडनीय है।

साइबर अपराधों से निपटने में चुनौतियाँ

- **जागरूकता का अभाव:** कई महिलाएँ अपने अधिकारों या साइबर अपराध के विरुद्ध उपलब्ध कानूनी उपायों से अनभिज्ञ हैं। जागरूकता का यह अभाव उन्हें भोशण के प्रति असुरक्षित बना देता है।
- **अपराधों की कम रिपोर्टिंग:** सामाजिक कलंक, पीड़िता को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति तथा भविष्य में उत्पीड़न के भय के कारण कई महिलाएँ साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज नहीं करतीं। अतः महिलाओं में कानूनी अधिकारों एवं उपलब्ध उपायों की जानकारी का अभाव भी एक प्रमुख कारण है।
- **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में डिजिटल ज्ञान तथा ऑनलाइन सुरक्षा उपायों की कमी पाई जाती है, जिससे वे साइबर अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
- **तकनीकी चुनौतियाँ:** तकनीकी प्रगति की तीव्र गति अक्सर साइबर अपराधों को ट्रैक करने और उनका मुकाबला करने के लिए प्रभावी उपकरणों के विकास को पीछे छोड़ देती है।
- **अपर्याप्त पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था:** कई मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास आवश्यक तकनीकी संसाधनों एवं विशेषज्ञता का अभाव होता है। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में विलंब के कारण पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता।

साइबर अपराध के कारण

- साइबर महिला अपराधों के पीछे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक सक्रिय रहते हैं, जिनमें बदले की भावना, गुमनाम रहकर कार्य करने की प्रवृत्ति, मानसिक विकृति, बेरोजगारी तथा आर्थिक अभाव प्रमुख हैं।
- अनेक मामलों में महिलाओं को झूठे संबंधों अथवा विवाह के प्रलोभन में फँसाकर उनका शोषण किया जाता है तथा उनकी निजी सामग्री के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल कर आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता है।
- सोशल मीडिया का वातावरण कई बार उपयोगकर्ताओं को अधिक आक्रामक एवं आलोचनात्मक बना देता है, जहाँ गुमनामी ट्रोलिंग तथा उत्पीड़न की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करती है।
- कानूनों एवं नियमों के विशय में अधिकांश महिलाओं में जानकारी का अभाव है। जिसके कारण वे साइबर अपराध का शिकार बन जाते हैं।
- कई बार महिलाओं के लापरवाही या अत्यधिक विश्वास करने के कारण वे अपनी जानकारी व फोटो सोशल मीडिया पर साझा कर देती हैं जिससे अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति या साइबर अपराधियों को अवसर मिलता है, जिसके कारण वे अपराध का शिकार हो जाती हैं।

सुझाव

- पीड़ित महिलाओं को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे अपराधियों पर कार्यवाही हो सके।
- स्कूल, कॉलेजों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक महिलाएँ जागरूक हो सकें।
- सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु त्वरित, प्रभावी एवं सुदृढ़ कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि अपराधियों को शीघ्र दंडित किया जा सके।

- पूर्व विद्यमान विधिक प्रावधानों में समयानुकूल संशोधन किया जाना आवश्यक है, ताकि साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप एवं तकनीकों के अनुरूप अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर दंड सुनिश्चित किया जा सके।
- वर्तमान समय में नवीन नीतियों तथा कानूनों का निर्माण किया जाए, जिससे महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते साइबर अपराधों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
- महिलाओं को उनके अधिकार व साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना आवश्यक है, ताकि वे निर्भय होकर सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध एक गंभीर एवं बढ़ती हुई सामाजिक चिंता के रूप में उभर रहा है। साइबर अपराध जैसी घटनाओं का प्रभाव केवल ऑनलाइन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी गहरा प्रभाव डालता है। साइबर अपराध महिलाओं के मानवाधिकारों को प्रभावित करने के साथ ही उनकी गरिमा, निजता तथा सुरक्षा के लिए भी चुनौती उत्पन्न करते हैं। इस संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों तथा उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों को समझना अत्यंत आवश्यक है। भारत में ऐसे अपराधों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान किए गए हैं, किंतु केवल कानूनी उपायों के माध्यम से इस समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यापक जागरूकता, डिजिटल साक्षरता, साइबर कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन तथा साइबर अपराधों की समयबद्ध रिपोर्टिंग की आवश्यकता है। साथ ही महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं उत्तरदायी साइबर वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सरकार, समाज एवं प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मुकाती ममता तथा श्रीवास्तव डॉ. सुनीता (2014) महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध, *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 13(1) : पृष्ठ क्रमांक —181—205.
2. सतपथी प्रीति (2014) महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकार : विश्लेषणात्मक अध्ययन, *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences* पृष्ठ क्रमांक — 144—147.
3. देबारी हलदर तथा करुणन्जन जय शंकर (2016) भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध, प्रकाशन — सेज पब्लिशिंग, ISBN- 9789385985775.
4. कुशवाह श्रमवीर सिंह (2016) भारत में साइबर अपराध : एक विश्लेषण. *Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika*, IV(III) : पृष्ठ क्रमांक —111—114.
5. मीना डॉ. मीनाक्षी (2016) भारत में महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध, प्रकाशन — पैराडाइज पब्लिशर्स, ISBN-978-9383099979.
6. प्रजापति दिव्या (2019) सोशल मीडिया और महिला अपराध : भारत के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, *International Journal of Advanced Research and Development*, 4(1) : पृष्ठ क्रमांक —101—103.
7. केशवानी दुर्गेश (2021) केंद्रीय भारत में सोशल-मीडिया के संदर्भ में साइबर अपराधों का एक आलोचनात्मक अध्ययन,

- रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल मध्यप्रदेश : पृष्ठ क्रमांक —197.
8. भांगला अपूर्व तथा तुली जाहन्वी (2021) भारत में साइबर अपराध तथा उसके कानूनी ढांचे पर एक अध्ययन, *International Journal of Law Management and Humanities*, 4(2).
 9. भार्मा पुष्पा (2022) महिलाओं के विरुद्ध भारीरिक अपराधों को बढ़ावा देता सोशल मीडिया, *International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science*, 4(4) : पृष्ठ क्रमांक —101—104.
 10. देवांगन डॉ. बलभद्र प्रसाद (2024) साइबर अपराध : महिलाओं के विशेष संदर्भ में, *International Journal of Social Research and Development*, 6(1) : पृष्ठ क्रमांक —76—78.
 11. मुथकुमार दीपिका (2024) भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध, *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(6).
 12. राठौड़ राजवीर सिंह तथा चहल डॉ. नवनित (2024) साइबर अपराध के विरुद्ध महिलाओं को सशक्त बनाना : भारत में कानूनी कमियां तथा सुधार की आवश्यकता, *International Journal of Law Management & Humanities*, 7(6).
 13. कुमार अमित एवं रंजन रवि (2024) सोशल मीडिया का प्रभाव, *A Double-Blind, Peer-Reviewed, Referred, Quarterly, Multi Disciplinary And Bilingual International Research Journal* Vol-07, Issue-02
 14. अहलावत हिमानी एवं भार्मा डॉ. सोमलता (2024) भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध. दृश्य और प्रदर्शन कलाओं की पत्रिका, 5(6) : पृष्ठ क्रमांक —76—78.
 15. छिल्लर मंजु लता (2024) भारत में महिला अपराध, प्रकाशन — राहुल पब्लिसिंग हाउस, ISBN- 9788119657254.
 16. <https://www.iilsindia.com/blogs/varied-facet-of-cyber-crime-vis-a-vis-women-abstract>